The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2014

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Mr. Deputy Chairman, Sir, I move:

That the Bill to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was proposed.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : सर, हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग पूरा फुलफ्लेज्ड डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि एक हफ्ते से प्रोसिडिंग्स नहीं चल रही थीं और हाउस एडजर्न होने तक हम उस सिस्टम में बदलाव नहीं लाना चाहते। चूंकि यह बिल दिल्ली के उन गरीब लोगों से संबंधित है, जो पूरे भारत से यहां दिल्ली में आते हैं और यह पहली दफा नहीं है कि दिल्ली, मुम्बई या जो बड़े शहर हैं, इनमें रोजगार के लिए, बड़े-बड़े शहरों में हिन्दुस्तान के सभी रीजन से गरीब लोग, हर धर्म, हर जाति और हर रीज़न के लोग आते हैं क्योंकि बड़े-बड़े शहरों में उनको रोजगार मिलता है। वे कुछ समय यहां रहते हैं, फिर उनको शिक्षा भी प्राप्त हो जाती है, रोजगार भी मिल जाता है, सड़क, पानी की सुविधा भी मिल जाती है। इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेकर आज तक कई दफा इस तरह की कालोनीज़ रेगुलराइज़ हो गई हैं। पिछले कई सालों से, यह दूसरी दफा हम लोगों ने इनके लिए एक्सटेंशन मांगा है कि जब तक गवर्नमेंट कोई क्लियरकट पॉलिसी लेकर नहीं आती है तब तक इनके मकान गिराने नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले रंगपुरी में कोशिश की गई थी अनऑथराइज्ड कालौनी को गिराने की, तो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर राहुल गांधी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से यह इच्छा प्रकट की कि हम इनको गिराने नहीं देंगे। हमारा यह कहना है कि हम इस मामले में सरकार के साथ हैं। सरकार भी चाहती है और हम सब भी चाहते हैं कि इस कड़क ठंड में, दिसम्बर और जनवरी के महीने में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 या 31 तारीख तक हम कोई कानून पास नहीं करेंगे या कोई क्लियरकट पॉलिसी नहीं लाएंगे, तो शायद वह कोई भी फैसला कर सकती है। अगर दिसम्बर या जनवरी के महीने में लोगों को बेघर किया जाएगा, तो लाखों लोग ठंड से मर सकते हैं। इसलिए उन लाखों लोगों की समस्या को दूर करने के लिए, उनको ठंड से बचाने के लिए, उनके घर अपनी जगह पर महफूज़ रहें, इसके लिए हम सरकार का अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करते हैं।

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : سر، ہم لوگوں نے چرچا کی تھی کہ ہم لوگ پورا فل-فلیج ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں، کہ ایک ہفتے سے پروسیڈنگ نہیں چل رہی تھی اور ہاؤس ایڈجرن ہونے تک ہم اس سسٹم میں بدلاؤ نہیں لانا چاہتے۔ چونکہ یہ بل دہلی کے ان غریب لوگوں سے سمبندھت ہے، جو پورے بھارت سے یہاں دہلی میں آتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہ دہلی، ممبئی یا جو بڑے شہر ہیں، ان میں روزگار کے لئے، بڑے بڑے شہروں میں ہندوستان کے سبھی ریجن سے غریب لوگ، ہر دھرم، ہر جاتی اور ریجن کے لوگ آتے ہیں، کیوں کہ بڑے بڑے شہروں میں ان کو روزگار ملتا ہے۔ وہ کچھ وقت یہاں رہتے ہیں، پھر ان کو شکشا بھی حاصل ہو جاتی ہے، روزگار بھی مل جاتا ہے، سڑک، پانی کی سہولت بھی مل جاتی ہے۔ اندرا گاندھی جی کے زمانے سے لے کر آج تک کئی دفعہ اس طرح کی کالونیز ریگولرائز ہو گئی ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے، یہ دوسری دفعہ ہم لوگوں نے ان کے لئے ایکسٹینشن مانگا ہے کہ جب تک گوورنمینٹ کوئی کلئیر-کٹ پالیسی لے کر نہیں آتی ہے، تب تک ان کے مکان گرانے نہیں چاہئیں۔ ابھی کچھ دن پہلے رنگ-پوری میں کوشش کی گئی تھی ان-اتھارائز کالونی کو گرانے کی، تو کانگریس کے وائس پریزیڈینٹ، مسٹر راہل گاندھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف سے یہ اچھا پرکٹ کی کہ ہم ان کو گرانے نہیں دی گے۔ ہمارا یہ کہنا کہ ہم اس معاملے میں سرکار کے ساتھ ہیں۔ سرکار بھی چاہتی ہے اور ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں، دسمبر اور جنوری کے مہینے میں، اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 30 یا 31 تاریخ تک ہم کوئی-قانون پاس نہیں کریں گے یا کوئی کلئیرکٹ پالیسی نہیں لائیں گے، تو شاید وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر دسمبر یا جنوری کے مہینے میں لوگوں کو بے-گھر کیا جائے گا، تو لاکھوں لوگ ٹھنڈ سے مر سکتے ہیں۔ اس لئے ان لاکھوں لوگوں کی سمسیہ کو دور کرنے کے لئے، ان کو ٹھنڈ سے بچانے کے لئے، ان کے گھر اپنی جگہ پر محفوظ رہیں، اس کے لئے ہم سرکار کا اپنی پارٹی کی اور سے سمرتھن کرتے ہیں۔

† Transliteration in Urdu Script.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभापति जी, माननीय वेंकैया जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। गरीब लोग बेघर हों, ऐसी किसी की मंशा हो नहीं सकती। मैं सदन के दोनों पक्षों के लोगों को इस पर अपनी सहमति देने के लिए बधाई देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी और नेता सदन बैठे हुए हैं, ये बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन हम लोगों को यह विचार करना पड़ेगा कि इस तरह की स्थितियां क्यों बनती हैं? इस पूरे सेशन में खटास बनी रही और सेशन चल नहीं पाया। चलिए, अच्छी बात है कि आज हम एक अच्छे माहौल में जा रहे हैं और एक अच्छा काम करके जा रहे हैं। लेकिन आगे के लिए हमें सोचना पड़ेगा और दोनों पक्षों को सोचना भी चाहिए, खासकर सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि House smoothly चले, ज्यादा काम हो और लोग हम पर उंगलियां न उठाएं। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Sir, I stand to support this Bill because "one man's slum is another man's community". This Bill pertains to about 60 lakhs poor slum dwellers in Delhi. And, I am proud to state that in West Bengal, we have given these kinds of slum dwellers the tenancy rights and in some places we have even given them land deeds. In fact, the Kolkata Municipal Corporation is now building a model slum for 6,000 family members. To these 60 lakh slum dwellers in Delhi, this is not a New Year's gift that we are giving them. This is not a Christmas gift that we are giving them. We are giving them what is their right.

I conclude, Sir, by saying that the hon. Prime Minister of this very great, nation of ours is very active on Facebook, very active on Twitter. We also have the pleasure and privilege of seeing his photographs. My only wish and my only request, very humbly, to him is to come more often here to speak up his mind in this historic ground building.

श्री शरद यादव (बिहार) **:** उपसभापति महोदय, जो माननीय सदस्य इस बिल पर बोले हैं, मैं उन सभी की बात से सहमत हूं और मैं भी इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री मुख्तार अब्बास नक़वी पिछले दो-तीन दिन से इस बिल के लिए बड़ा प्रयास कर रहे थे। उनका यह काम अच्छा था। इसमें मीठे और कड़वे की बात नहीं है, लेकिन इन्होंने इस पर काफी मशक्कत की थी और अंत में वेंकैया जी भी इसके लिए ताकत के साथ लगे रहे। यह भी सही है कि आज जब हम इस सत्र के अंतिम दिन यहां खड़े हैं, अच्छा है कि हम कुछ काम करके, एक-दूसरे से दुआ सलाम करके निकलेंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कोर्ट्स से जो आदेश आते हैं, उनमें मानवीय दृष्टिकोण को कभी नहीं देखा जाता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज सर्दी के मौसम में लोगों को घर से निकालने का काम हो जाएगा, यदि सदन ने इसको पास नहीं किया। ये वे लोग हैं, जिनके पास रहने की जगह की कमी है, पहनने के लिए कपड़े की कमी है और बहुत तरह की दिक्कतों में लोग रहते हैं। श्री वेंकैया जी ने सदन में जो बिल रखा है, मैं इस बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं और आज सत्र के अंतिम दिन यह मुबारक मौका होना चाहिए। अच्छा मौका कि है कि आपने 6 महीनों में गरीबों के हक में एक अच्छा काम किया है।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to support the Bill. The Authorities must take appropriate steps to prevent exodus from rural areas to urban areas. In that direction, our leader, hon. Amma has taken many desired steps. So, it must be followed by the Central Government also. Thank you Sir.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभापति महोदय, मैं बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बिल में जो तिथि पिछले अधिनियम में 31 दिसम्बर की थी, उसको बदल कर अब उसकी जगह 31 दिसम्बर, 2017 किया जा रहा है। लेकिन ये तीन वर्ष बीत गए हैं और हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर यह 31 से पहले नहीं होता है, तो उनको झुग्गी-झोंपड़ियों से बाहर होना पड़ेगा। इस बिल के जो स्टेटमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उसकी एक लाइन देख लें, तो इसमें आप यह कहते हैं कि, "सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, गंदी बस्तियों की वृद्धि, अप्राधिकृत संनिर्माण, आवासीय क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिकरण"। गंदी बस्तियों के रहने - आप खुद ही इसमें कह रहे हैं, यह वर्ड यूज कर रहे हैं "गंदी बस्तियों की वृद्धि", तो मुझे पूछना है कि इस वृद्धि का क्या कारण है और इस वृद्धि को कैसे खत्म किया जाए? यह खाली उनको घर से बेघर करके, झोंपड़ियों को हटाकर नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको एक योजना लानी चाहिए। आपको इसके लिए एक योजना बनाकर रखनी होगी। इस योजना के तहत जो इन झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जिनमें ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं, आप उनको आप घर दें और उनके लिए निर्माण कराकर योजना बनाएं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में, जब सुश्री मायावती जी की सरकार थी, तो "मायावती श्री कांशीराम गरीब आवास योजना के" तहत लगभग पंद्रह लाख मकान बने थे और जो लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे थे, उनको झुग्गी-झोंपड़ियों से हटाकर, उनके लिए दो कमरे के पक्के मकानों की व्यवस्था की गई थी। अगर हम लोग खाली तिथि बढ़ाने के लिए यहां पर अपना समर्थन देते रहेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। जब तक हम इन गरीब व्यक्तियों और जो लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए योजना नहीं बनाते हैं कि उनको एक स्थायी मकान मिले, तब तक कुछ नहीं होगा। इससे आगे चलकर हमें यह "गंदी बस्ती" शब्द हटाना होगा। हम उनकी वृद्धि की बात कह रहे हैं, लेकिन "गंदी बस्तियों पर ऐसे लोग रहे रहे हैं", यह पढ़कर बहुत अच्छा नहीं लगता है। वे यहां रहने के लिए मजबूर हैं, इसलिए आप इस समस्या को दूर करने के लिए योजना बनाइए। हमारा आपको इस पर पूरा समर्थन रहेगा। हमारा आपको इस पर पूरा समर्थन है, क्योंकि इसको न करने से वे इन गंदी बस्तियों से भी हट जाएंगे। वे इन गंदी बस्तियों में अवश्य रह रहे हैं, लेकिन आप उनको अच्छी जगह पर ले जाइए और अच्छी बस्तियों में पुनर्स्थापित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुजन पार्टी आपके इस बिल का समर्थन करती है।

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिम बंगाल) **:** धन्यवाद, उपसभापति जी। पिछले एक हफ्ते से इस सदन में जो कार्यवाही नहीं चल रही थी, उस कार्यवाही को चलाने के लिए हम लोग एक ही उसूल पर माने और वह है इंसानियत। उस इंसानियत के उसूल को ध्यान में रखते हुए, हमने यह फैसला किया कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि यह लागू हो। लेकिन साथ में सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा कि हम लोग काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी

आए नहीं थे। अब वे आ गए हैं, इसलिए हम लोग अभी भी तैयार हैं कि वे हम सबको सुन लें, उसके बाद उस सवाल का जवाब दे दें, जिसका आतंक देश में फैला हुआ है। यह अपने देशवासियों के प्रति सदन के भरोसे का एक बहुत बड़ा काम होगा। हम लोग इसके लिए अभी भी तैयार हैं, लेकिन वह होने वाला नहीं है। खैर, वह नहीं होने वाला है, इसलिए मैं यही चाहता हूं कि जो भाई सतीश चन्द्र मिश्रा जी ने कहा, वह बिल्कुल सही कहा है - आप वहां पर मत देखिएगा, वहां पर ज्यादा टाइम दिया हुआ है, मैं उससे भी कम बोलूंगा। श्री सतीश मिश्रा जी ने जो कहा, वह सही है कि केवल डेट बढ़ाकर इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। यदि इस समस्या को हल करना है तो सरकार को प्रतिबद्ध होकर उनके पुनर्वास के लिए प्रयत्न करना होगा। दूसरी बात यह है कि उनका ऐसी जगह पर पुनर्वास हो - क्योंकि जिस जगह पर वे रह रहे हैं, उसी के साथ उनका रोजगार, उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है, यदि आप उनको वहां से हटाकर कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे, तो वे जिंदा रहने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए आप इस तरीके के अपराध न करें। उनके Rehabilitation and Resettlement की बात है, तो उन्हीं की लीगल टर्म्स में, जिसको "इन सीटू" कहा जाता है, यहां कई वकील हैं, आप उस तरीके का प्रबंध करें, ताकि उनको बेहतर जिंदगी देने की जो परिस्थिति है, यह सरकार उसको बनाए। हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। तीसरी बात यह है कि इसमें यह जो "गंदी" शब्द प्रयोग किया गया है, आप उसको इसमें से हटा दीजिए, क्योंकि यह लोग अपने आप ऐसे स्थान चुनकर गंदी जगहों पर नहीं रहते हैं। उनके पास अच्छी जगहों पर रहने का न तो साधन है, न ही व्यवस्था है। वह व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सबकी है। सरकार इसमें पहल करे, इसके लिए सरकार को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। इसलिए इन बातों के आधार पर हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, खुशी की बात है कि सदन के सभी सदस्यों ने सदन का कई दिनों का गतिरोध समाप्त करके एक मानव समस्या को हल करने के लिए यहां पर अपनी एकता और समर्थन जुटाया है। मैं समझता हूं कि इसके लिए सदन के सभी सदस्य अभिनंदन के पात्र हैं। मेरा इसमें केवल यही निवेदन है कि बड़े शहरों में जिस तरह से ज्यादा शहरीकरण हो रहा है, जैसा सभी ने कहा कि लोग सभी जगहों से शहरों में आकर बसना चाहते हैं, रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अपना बाकी जीवन आगे बढ़ाने के लिए, यह स्वाभाविक बात है और यह होते ही रहने वाला है। दिल्ली में जो समस्या है, मैं समझता हूं कि देश के हर बड़े शहर की यही समस्या है। सर, मैं सरकार से केवल एक निवेदन करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं, यह और अच्छी बात है। महाराष्ट्र में मुम्बई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी बनाई गई है। जैसा अभी सीताराम जी कह रहे थे कि इन सीटू वहां पर उनकी फिर से बसाहट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जहां पर वह बस्ती है, जिसे गंदी बस्ती बोलते हैं, 'गंदी बस्ती' यह शब्द न हो, जब इस तरह की बस्तियों से लोगों को हटा कर दूसरे आवास देने की बात आती है, तो उसमें लोगों का बहुत विरोध होता है, क्योंकि जहां वे रहते हैं, वहीं उसके आसपास उनका रोजगार होता, जहां वे काम करते हैं, उनके बच्चे वहीं शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए लोग वहां से दूर जाने लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। उसी वजह से इन बस्तियों का पुनर्वसन या लोगों को राहत पहुंचाने की जो समस्या है, वह जल्दी से हल नहीं हो पाती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छे कानून, स्लम

[श्री प्रफुल्ल पटेल]

रिहैबिलिटेशन एक्ट के द्वारा जो वहां की अथॉरिटी बनी हुई है, उसका अध्ययन यहां की हमारी अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जरूर करे और अगर हम उसी के आधार पर लोगों को घर बना कर देने का कार्यक्रम बना सकें, तो हम निश्चित तौर पर केवल दिल्ली के लिए ही नहीं, बल्कि सारे देश के सभी इस तरह के झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान कर पाएंगे। मैं यही निवेदन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि पुनः इस एक अच्छे मानवीय कार्य के लिए हम सब लोग एक हुए हैं, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा) **:** डिप्टी चेयरमैन, सर, हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। मुझे फख्र है कि मैं भारत माँ की संतान हूं। मेरा देश सारे विश्व में इसीलिए माना जाता है कि वह जाति, धर्म और वर्ण, सबसे ऊपर इंसानियत का देश है। अगर दुनिया में कोई ऐसा देश है, तो वह मेरा देश है, हिन्दुस्तान है। वहां आज गरीबों के लिए इंसानियम की बात की जा रही है, इसीलिए हम इसका समर्थन करते हैं। सर, मेरे राज्य में हमारे मुख्य मंत्री, नवीन पटनायक जी ने 'मेरा घर' का एक आह्वान किया है। अपने-अपने राज्यों में जो सरकारें अपने फंड से ऐसी योजना पर काम कर रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि केन्द्र सरकार उन सरकारों को उसमें 50 परसेंट सब्सिडी दे या सहायता करे। रोटी, कपड़ा और मकान - यह हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यह हमारा संवैधानिक धर्म है। हमारे प्रधानमंत्री जी यहां हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा है कि मेरा धर्म, मेरी रिलीजन कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आज जैसे दिल्ली में गरीबों के लिए काम किया जा रहा है, सारे देश में ऐसे गरीब, जो झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे उनका भी सपना पूरा हो सके। धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I rise to support this Bill. Humanitarian consideration has surpassed all other things. In the interest of the common man, the Opposition Parties, which were agitating for the past one week, have relented to pass this Bill. Sir, I am very happy to say that when our Party was ruling Tamil Nadu in the year 1971, we were the pioneers in implementing the Slum Clearance Board. So, I think, the Government has taken a right decision at the right time. In the interest of the common man, we all, wholeheartedly, support it and this is a message to the poor men in this country that when their issue and the issue of their welfare comes up, all the differences of the political parties vanish, that we all stand one to support them and to help them. So, we support this Bill. Thank you, Sir.

श्री विजय गोयल (राजस्थान) **:** सर, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जो एन.सी.टी. दिल्ली लॉज़ (स्पेशल प्रोविज़न) सेकंड (अमेंडमेंट) बिल, 2014 लेकर आए हैं। असल में तो दिल्ली के अन्दर यह बिल ही इस बात का जीता-जागता सबूत है कि 60 साल के अन्दर दिल्ली की 'बैड प्लानिंग' ही नहीं, बल्कि 'नो प्लानिंग' हुई है। ये जो अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, जिनके कारण हम इस बिल को लेकर आ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) **:** उसे आपने लटकाया हुआ है। ...**(व्यवधान)**... यह क्या बात कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is okay ...*(Interruptions)*... आप लोग बैठिए। **...(व्यवधान)...**

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) **:** उपसभापति जी, इसे एक्सपंज किया जाए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you the time; please sit down. मैं अभी आप लोगों का नाम बुला रहा हूं। **...(व्यवधान)...** आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

श्री विजय गोयल : उपसभापति जी, 2006 के अन्दर यह बिल आप लोग ही लाए थे। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijay Goel, don't spoil the atmosphere. ...*(Interruptions)*... आप लोग बैठिए। **...(व्यवधान)...**

श्री विजय गोयल : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल आप लोग लेकर आए थे, क्योंकि आपके राज में दिल्ली के अन्दर भारी सीलिंग हो रही थी। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please resume your seats. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल : उस समय अगर आप चाहते तो अनऑथोराइज्ड़ कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ कर सकते थे **...(व्यवधान)...** किन्तु 2006 के बाद 2014 तक 60 लाख लोग, जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ में रहते थे, उनको आपने रेगुलराइज़ नहीं किया। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please resume your seats. ...*(Interruptions)*... प्लीज आप लोग बैठिए। **...(व्यवधान)...**

श्री विजय गोयल : 30 लाख लोग झुग्गी-झोंपड़ियों के अन्दर रहते थे, उनके लिए आपने मकान नहीं दिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijay Goel, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल : अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जहां-जहां भी देश के अन्दर झुग्गियां होंगी, वहां-वहां पर हम उनको फ्लैट बनाकर देंगे। **...(व्यवधान)...** और जैसे प्रफुल्ल जी मुम्बई के बारे में कह रहे थे, जैसे वहां पर स्लम रिहेब्लिटेशन हुआ है, वैसे ही दिल्ली के अन्दर भी हम झुग्गी-झोंपड़ियों वाली जगहों पर मकान बनाकर देंगे। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please resume your seats. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल : मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री श्री वेंकैया नायडु जी ने कहा है कि जो कट-ऑफ डेट 2007 थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 2014 कर दिया है। **...(व्यवधान)...** जो मैं कह रहा हूं, वह सत्य है। **...(व्यवधान)...** 60 साल के अन्दर उन लोगों ने दिल्ली को स्लम बना दिया है। **...(व्यवधान)...** इसीलिए आज उन लोगों को बचाने के लिए इस तरह का बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है।

श्री शान्ताराम नायक (गोवा) **:** ये गलत बात यह कह रहे हैं।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) **:** यह ठीक नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijay Goel, please don't spoil the atmosphere.

श्री विजय गोयल : उपसभापति जी, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ को जल्द से जल्द रेगुलराइज़ किया जाए। **...(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijay Goel, please don't spoil the atmosphere.

श्री विजय गोयल : जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, झुग्गी-झोंपड़ियों के स्थान पर जल्द से जल्द फ्लैट बनाए जाएं। **...(व्यवधान)**... इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। **...(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijay Goel, your time is over. आप लोग बैठिए। **...(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी : सर, इन्होंने जो कहा है, पहले उसको एक्सपंज करवाइए।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) **:** इन्होंने सारा माहौल ही बिगाड़ दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri D. Raja.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, please don't allow the Ruling Party to disrupt the atmosphere. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I have said.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, we all agreed. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती जया बच्चन : ये लोग गरीबों के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijay Goel, why did you spoil the atmosphere? ...*(Interruptions)*... आप लोग बैठिए। **...(व्यवधान)**...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, when the whole House stands united, ...*(Interruptions)*...

श्रीमती जया बच्चन : गरीबों के नाम पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, please address the Chair. Ignore all that. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, when the whole House stands united to pass this Bill,

...*(Interruptions)*... I am coming, let me speak. When the whole House stands united to pass this Bill, the BJP being the Ruling Party should realize the ground realities and should show some sense of accommodation, humility and it should not divide the House on this particular issue.

Having said that, Sir, Delhi is the National Capital and it belongs to everybody. Delhi's well-being, Delhi's progress is the concern of everybody. Whatever the Government does, it should do keeping in view the interests of the poor people. When I say this, it is good that the whole Parliament expresses compassion for the poor people, but poor people don't want pity and mercy of anybody. What the poor people want is protection as a right, as a Constitutional right. Are we prepared to do that? That is the issue. Way back in the 60's, I know, Tamil Nadu was one of the pioneering States in taking steps for the clearance of slums. The previous Government -- Ms. Selja is sitting here -- gave the slogan, 'slum-free India'. I do not know whether that slogan remains. What the present Government is going to build a slum-free India? Nobody knows. And, at some point of time, Parliament should discuss the entire housing question. Sir, right to housing should be made as a Fundamental Right. No Indian should remain homeless in this country ...*(Time-bell rings)*...We talk great about this in social circles, but poor people still do not have house to live.

So, while passing this House, I appeal to the Government to take care of interests of poor people. When I say 'poor', I even do not want that word to be used. Our people should have a decent living place, decent housing for which the Government will have to do something.

That is my humble request to the Government. Thank you.

श्री उपसभापति : श्री के.सी. त्यागी। **...(व्यवधान)**... आप बोलिए।

श्री के.सी. त्यागी : सर, **...(व्यवधान)**... मैं आपकी ही तकलीफ बताना चाहता हूं। महोदय, मेरी और जया जी की एक जैसी तकलीफ है। वेंकैया जी और नक़वी जी से प्रयासों से तथा नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम दलों के नेताओं के सहयोग से यह बिल पास हो रहा है। श्री विजय गोयल जी ने जो इलजाम लगाये हैं, मैं चाहता हूं कि वे इलजाम इसमें से हटाए जाएं। चूंकि आखिरी दिन एक ऐसा माहौल बना था कि एक अच्छी स्पीड के साथ हम यहां से जा रहे हैं। उसमें जबरदस्ती एक शब्द को जोड़ कर माहौल को खराब किया जा रहा है। आज आखिरी दिन, जैसा शरद यादव जी ने कहा, हम प्यार के साथ एक-डेढ़ महीने के लिए अलग हो रहे हैं और जनता का जो सबसे गरीब तबका है, उसके लिए काम कर रहे हैं। विजय गोयल जी मेरे पुराने मित्र हैं। मैं उनसे खुद ही यह निवेदन करूंगा कि इस कटुता को छोड़ करके इस बिल को पास होने दें। जया जी ने जो

कंसर्न फील किया है, मैं अपने आपको उसके साथ अटैच करता हूं। ऐसे खुशनुमा माहौल में, जब सब पार्टियों एक सवाल पर, इंसानियत के एक सवाल पर एकजुट हैं, तो विजय जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए, या तो वे इसे वापस लें अथवा इसे निकाला जाए।

श्री परवेज़ हाश्मी : सर, हमारे साथी विजय गोयल जी ने अभी एक बात कही कि 7 सालों में हम इन कॉलोनीज़ को रेगुराइज़ नहीं कर पाए।

सर, आज 8 साल से उन सारी की सारी कॉलोनीज़ की फाइल्स बाउंडरी लाइन डिसाइड करने के लिए, डिमार्केट करने के लिए एम.सी.डी. के पास पड़ी हुई हैं। एम.सी.डी. में इनकी सरकार है और आज तक एक भी कॉलोनी की बाउंडरी लाइन डिमार्केट करके इन लोगों ने हमें नहीं दी है और ये कहते हैं कि हमने नहीं किया। **...(व्यवधान)**... सिर्फ एम.सी.डी. की वजह से आज तक हम इन कॉलोनीज़ को रेगुराइज़ नहीं कर पाए। **...(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No allegations ...*(Interruptions)*... Don't make an allegation.

श्री परवेज़ हाशमी : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं। **...(व्यवधान)**... सर, यह जो बिल है, इसे हमने पास करने के लिए इसलिए रखा कि दिल्ली की गरीब जनता का भला हो सके। **...(समय की घंटी)**... लेकिन, इसमें इस बात को कह कर ये चाहते हैं कि इसमें डिवीजन हो और यह पास न हो पाए। **...(व्यवधान)**...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, I think, we have decided that there will be no discussion on this and we will only show our concern. I request you to please conclude this. Otherwise, there will be mudslinging on each other.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : सर, हम यही बात कह रहे हैं। **...(व्यवधान)**... कोई डिस्कशन नहीं। जब सब लोगों में सहमति है, तो फिर क्या गड़बड़ है? **...(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Minister.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, I would like to thank all the hon. Members of Rajya Sabha, irrespective of...

SHRI NARESH AGRAWAL: ...Vijay Goel.

श्री एम. वेंकैया नायडु : अगर इसमें जाएंगे तो और भी बहुत से विषय आएंगे। मेरा कहना यह है कि **...(व्यवधान)**... त्यागी जी, आप दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। आपस में बाद में बात कर लीजिए। **...(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us not spoil the atmosphere. Now, at least, we have a very good atmosphere ...*(Interruptions.)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I would like to really thank all the hon. Members from that side, this side and also from the middle for showing this kind of gesture of supporting this Bill unanimously. Sir, this is necessitated because the present Act is coming to an end by 31st December. If you do not extend it, there is a danger of these people being evicted or their properties/residences being sealed as per the court orders. That is the crux of the issue. What is the amendment now says? The Bill says that instead of '31st December, 2014', we are making it '31st December, 2017.' Secondly, Sir, the cut-off date was '8th February, 2007', now we are taking the cut-off date as '1st June, 2014.' So, that gives some time to the Government to act on this and also to take care of the master-plan of Delhi and see how these unauthorised colonies or slums are taken care.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) **:** उसमें से 'गंदी' शब्द निकाल दीजिए।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Satishji, I am coming to that.

Sir, in the main portion that was given to me 'गंदी' शब्द नहीं था। In English version, it is mentioned as 'slums.' Whereas, in Hindi translation, it is mentioned as 'गंदी बस्तियों'। **...(व्यवधान)**... सर, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं 'मलीन' शब्द के पक्ष में भी नहीं हूं। वहां बस्ती मलीन हो सकती है, लेकिन वहां अच्छे लोग हैं। **...(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी : मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। **...(व्यवधान)**...

श्री एम. वेंकैया नायडु : सर, मैं आगे इस पर ध्यान दूंगा। हिन्दी के ऊपर मेरी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, फिर भी मैंने यह समझ लिया कि 'गंदी' शब्द से एक गलत मैसेज जा रहा है। उसको ठीक करने के लिए मैं कोशिश करूंगा और इसके लिए आदेश दूंगा। उसको हटाएंगे और 'मलीन बस्ती' की जगह 'गरीब बस्ती' जैसा कुछ इसमें परिवितन करेंगे। **...(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी : आप इसके लिए आश्वासन दे दीजिए कि यह ठीक होगा। **...(व्यवधान)**...

श्री एम. वेंकैया नायडु : सर, मैं यह आश्वासन देता हूं कि यह ठीक हो जाएगा। **...(व्यवधान)**... यह कोई विवाद का विषय नहीं है। I can understand the mood of the House. I don't want to take much time also. The points raised, whether by Mishraji or even by Shri Sitaram and before that by my friend, Shri Shiva and others, are very important. If one is giving them time to stay on there for some time, that is okay. But what about the permanent solution? You have to rehabilitate the people in the slum areas. Sharadji also said the same thing. That being the case, there are good examples. I have no hesitation

in admitting that. In my political life, the first thing that I saw, as far as the slum clearance is concerned, was in Tamil Nadu, under Dr. Kalaignar Karunanidhi. It was done in Chennai. I have no hesitation to say that. If you go, even today ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): More Chief Ministers ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Navaneethakrishnanji, ...*(Interruptions)*... Navaneethakrishnanji, don't do that. ...*(Interruptions)*... Okay, please.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Fact is fact. Then, subsequently, after Madam Jayalalitha became the Chief Minster of Tamil Nadu, this programme has been given much importance. The Tamil Nadu slum rehabilitation ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. KANNAN (Puduchery): What about Dr. Kamaraj?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No comments. ...*(Interruptions)*... No running commentary. Sit down. ...*(Interruptions)*... No comments.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: In every regime in Tamil Nadu, right from Dr. Kamaraj Nadar to Shri MGR's period to Madam Jayalalitha's period, this has been given priority. I can tell you today ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, in Kerala, there are no slums. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am talking about Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*... In the Tamil Nadu example ...*(Interruptions)*... Mr. Rajeev, Please.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That doesn't mean other States have not done. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: Deputy Chairman, Sir, your own State Kerala ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeeve, sit down.

SHRI SITARAM YECHURY: No, no, Sir, he is making only a point which you will also appreciate Venkaiahji. If there is any State in the country, where there are no slums, it is Kerala. So, mention that also. That is what we are saying.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, Kerala is God's own place. How can there be slums in Kerala? So, why I have mentioned this is -- if there is a will, there is a way. Certain States have shown the way. Be it Tamil Nadu, Kerala, or any other State ...*(Interruptions)*... all, I hope, ...*(Interruptions)*... Sir, coming to ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वहां कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना **...(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please, ...*(Interruptions)*... Please, listen to the Minister.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This is the advantage of a debate that we get new ideas and new points.

Sir, with regard to housing, it is a massive challenge before the country. For the State of Maharashtra, a suggestion was made by Prafulbhai. I had been to Maharashtra and I had a detailed discussion with the then Chief Minister, Shri Prithviraj Chavan, along with my Secretary and the next day my Secretary went around the State of Maharashtra, studied the Maharashtra Housing Scheme and have been impressed by that. Then, we also studied the Gujarat Housing Scheme and it was also useful. And then we are in the final stage of finalising the National Housing Plan, where the topmost priority will be given to the Slum Rehabilitation Programme. That is the priority. One is giving protection for three more years, against eviction. Second one is, in whatever manner it is, developing that. The third point which was mentioned by many of the Members is, Sir, you cannot relocate them to a place because they will be losing their livelihood. So, you have to go vertical; and you have to develop there only. There are some problems and we are learning from the experiences of certain States. As I have told you, Mumbai example is there, and then, the examples of Ahmedabad and other cities are there, and Chennai example is the shinning example from the beginning. So, we will keep all these things in mind while formulating the plan for 'Housing for All'. All starts with poor people. That is the second point.

With regard to the reality, Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to tell you that in Delhi - who is responsible, I am not going into that -- today, if you go simply by the Constitution and by the rule of the law, you have to remove many of the areas which you cannot, even if the entire Government and the system also feels, you cannot. But it is a human issue. Today, Sir, I would just share this information with the House. Sangam

[Shri M. Venkaiah Naidu]

Vihar's population is five lakh; in the Master Plan, it is written as a forest area. Then, Sonia Vihar, Burari -- two lakh population; Rithala, two lakh population; Molarband, one lakh population; Badarpur, one lakh population. Can you remove such population? It is not possible, not only in winter, even otherwise also. So, that being the case, as Ghulam Nabiji has mentioned about the Rangpuri incident, that was not done by the Government. It was done on the order given by the Green Tribunal, which is equivalent to the court order. But, still I told them that we are in the month of November; even if there is a court order, one should go back to the court and impress upon them by saying, 'Sir, you can't put them on streets in this cold winter. That was the approach, and it was stopped also.

Sir, my suggestion is, when we discuss about the Housing Policy, we can have detailed deliberations and we can take ideas from others. With regard to this Bill, the hon. Prime Minister and the Government of India gives top-most priority to slum,development and for the welfare of the poorer people. That is why this Bill has been brought. I am very happy about it. This Bill was originally brought by the Congress Party; I have no hesitation in admitting it, In 2006. Then, it has been extended from time to time, and now it is expiring. That is why I am seeking further extension of the same in the larger interest of the people of Delhi. Delhi means mini India; people from all parts of the country are in Delhi. That is why this special focus on this Bill. I am very much thankful to the entire House for standing together in passing this Bill, which is the need of the hour. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, before I move that the Bill be passed, I have only one line to add. In addition to this step, the Government is also considering actively,

we are in a very advanced stage of regularizing the unauthorized colonies in Delhi, which are in large number, twelve hundred plus or so, in the larger interest of the people who have settled here from different parts of the country. They have been getting electricity; they have been getting water; they have got other things. But on record, they are unauthorized. They cannot transfer their properties also. Keeping in mind this difficulty, the Government is working on this, and we are in an advanced stage and any day, that sort of an order will be issued. I hope that everybody will support this. Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, if the House agrees, I will allow the Special Mentions to be laid on the Table. ...*(Interruptions)*...

SHRI NARESH AGRAWAL: No. ...*(Interruptions)*...

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, Special Mentions should be laid.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; all right. ...*(Interruptions)*... No consensus; I am helpless.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, I want to lay the Special Mention. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No consensus; I am helpless.

DR. V. MAITREYAN: Sir, we want to lay ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No consensus; I am helpless. ...*(Interruptions)*... We will do today on the basis of consensus.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

VALEDICTORY REMARKS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the Winter Session of the Rajya Sabha, the 233rd Session, which commenced on the 24th November, 2014, comes to a close today.

The House had 22 sittings. The work done and the work not done is graphically illustrated in the Statement being distributed now. Secretary-General is making available to you the details of the statistical information relating to this Session.